कार्यालय टिप्पणी

वाद- 119/13 अमानी छोटूराम बनाम जुगलकिशोर

30/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित बार-बार आवाज लगाने पर भी वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी वकील वादी की प्रतीक्षा की लम्बित हेतु निर्णित लिखाया पेश किये हैं। पुनः आवाज लगाई गई समय सायं 4:30 बजे का हो चुका है। वादी एवं वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी उपस्थित है। अतः वादी एवं वकील वादी के गैर हाजिर होने एवं पालना नहीं होने के कारण वाद वादी के कदाचार, अकर्मण्यता एवं पालना के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली रोस्टर के अनुसार दिनांक 30/11/2017 को निस्तारण हेतु अग्रेषित अग्रेषित 30/11/2017 को निस्तारण नहीं होने के कारण खारिज

सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय